Important Public Notice from Ministry of AYUSH, Government of India

The Ministry of AYUSH has once again reiterated some critical guidelines to protect the public from misleading claims and unauthorized promotions related to Ayurvedic, Siddha, Unani, and Homoeopathic (ASU&H) medicines:

 No Approval/Endorsement: The Ministry does not certify or endorse any company or product directly. All manufacturing and sales are governed under the Drugs & Cosmetics Act, 1940 and subsequent rules.

 Strict Prohibition of Misleading Claims:
• Prohibited to advertise ASU&H medicines for curing chronic or lifestyle diseases with miraculous claims.
• Misleading promotions can attract strict action under the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954.

 Use Only Licensed Products: Medicines must be sold and prescribed under valid licenses. Public is urged to use products only from authorized practitioners and licensed companies.

 Any claim of treatment or cure for health conditions without scientific validation is strictly prohibited.

 Citizens are advised to report any misleading advertisements or unauthorized claims to the Ministry at:
 ayush-medicine@gov.in

नवभारत
छत्तीसगढ़ • ओडिशा
Raipur Main - 24 Aug 2025 - 24p12
epaper.navabharat.news

सत्यमेव जयते
Ministry of Ayush
Government of India

भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

आयुष भवन

'बी' ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023

वेबसाइट : www.ayush.gov.in

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आयुष मंत्रालय, भारत सरकार न तो किसी आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक (एएसयूएंडएच) कम्पनी या उनकी दवा/ औषधि को प्रमाणित/ अनुमोदित करता है और न ही किसी आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक (एएसयूएंडएच) निर्माता/ कंपनी को बिक्री हेतु विनिर्माण का लाइसेंस प्रदान करता है. इसके अलावा, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार किसी एएसयूएंडएच दवा/ औषधि की बिक्री हेतु विनिर्माण का लाइसेंस संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र लाइसेंसिंग प्राधिकरण (एसएलए) द्वारा प्रदान किया जाता है.

2. आयुष मंत्रालय एतद्वारा जनता को सूचित किया जाता कि-

   i ऐसी एएसयूएंडएच औषधियों का विज्ञापन करना अवैध है जिनमें रोगों के उपचार हेतु चमत्कारी या अलौकिक प्रभावों का दावा किया जाता है. इस तरह का विज्ञापन असत्यापित या झूठे दावों को बढ़ावा देकर जन-स्वास्थ्य को भ्रमित और खतरे में डाल सकते हैं.

   ii औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 में कतिपय रोगों और अवस्थाओं के उपचार हेतु दवाओं और चमत्कारिक उपचारों के विज्ञापन पर कड़ी रोक लगाई गई है. यदि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो कानून के तहत निर्धारित दंड का प्रावधान है.

   iii औषधि नियम, 1945 की अनुसूची ई-1 में उल्लिखित औषधियों युक्त आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी (एएसयू) दवाओं का सेवन संबंधित आयुष चिकित्सा पद्धति के पंजीकृत चिकित्सक की देख रेख और मार्गदर्शन में किया जाना अनिवार्य है. ऐसी दवाओं के कंटेनर पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में "**चेतावनी- चिकित्सकीय देख रेख में ली जाए**" निर्देश लिखा होगा. आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे आयुष पद्धतियों के पंजीकृत चिकित्सकों से परामर्श करने के बाद ही ऐसी औषधियों का उपयोग करें.

   iv आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयूएंडएच) दवाओं/ औषधियों से स्वयं-निदान करने या स्वयं-दवा लेने से बचना चाहिए. यह सुझाव दिया जाता है कि स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए हमेशा पंजीकृत आयुष चिकित्सकों से परामर्श करें.

3. आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे एएसयूएंडएच दवाओं/ औषधियों के संबंध में उपर्युक्त तथ्यों से अवगत रहें और ऐसी दवाओं/ औषधियों के भ्रामक विज्ञापनों को संरक्षण देने से बचें. जनता से भी अनुरोध है कि ऐसे किसी भी आपत्तिजनक विज्ञापन, झूठे दावे, नकली दवा आदि की रिपोर्ट औषधि नीति अनुभाग, आयुष मंत्रालय (email : ayush-medicine@gov.in) तथा संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण को भेजें ताकि उचित कार्यवाही की जा सके.

J-11019/01/2017-DCC (AYUSH) आयुष मंत्रालय

cbc 17201/11/0003/2526